न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(59)

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1078-एक/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 14-7-10 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 476/07-08/अपील.

बाबूअली पिता रहमत अली
निवासी ग्राम जरसी सकराई
तहसील गुलाना जिला शाजापुर .....आवेदक

विरूद्ध

1. जाहीर अली पिता अहसान अली
2. सरफराज अली पिता एहसान अली
   निवासीगण ग्राम जरसी सकराई
   तहसील गुलाना जिला शाजापुर
3. म.प्र. शासन .....अनावेदकगण

श्री दिनेश ब्यास , अभिभाषक, आवेदक
श्री ए.आर. यादव , अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/13 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-7-10 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, उप तहसील सुन्दरसी तहसील गुलाना के समक्ष सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पोलाय खुर्द स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की सर्वे क्रमांक 492

रकबा 0.09 हेक्टेयर, 493 रकबा 0.09 हेक्टेयर एवं 494 रकबा 0.08 हेक्टेयर से अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का अवैध कब्जा हटाकर उसे वापिस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया । अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ-70/2007-08 दर्ज कर दिनांक 31-12-07 को अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को प्रश्नाधीन भूमि से अवैध आधिपत्य हटाये जाने का आदेश पारित किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26-6-08 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14-7-10 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह गिगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई थी, जिसके आधार पर आवेदक का नामान्तरण भी राजस्व अभिलेखों में हो गया था । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अपने स्वत्व एवं स्वामित्व की उक्त भूमि का सीमांकन कराया गया था, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक को दिलाये जाने के आदेश दिये गये हैं, जो कि विधिसंगत है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी तहसील न्यायालय के आदेश को विधिसंगत होने से स्थिर रखा गया है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें बिना किसी वैध एवं उचित कारण के हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है, जबकि समतर्वी निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 250 प्रावधानों एवं नियमों को देखे बगैर आदेश पारित किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि जरसी सकराई में स्थित है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा उक्त भूमि पोलाय खुर्द की मानकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किये गये हैं, जो कि अभिलेख के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान

किये बिना आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होकर, निरस्त किये जाने योग्य है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में साक्षियों के कथनो की कोई विवेचना नहीं की गई है और न ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में क्या अवैधानिकता थी, इसका कोई उल्लेख नहीं गया है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वार त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती आदेश निरस्त करने में विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का सम्पूर्ण रकबा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के आधिपत्य में कब और कैसे आई, इसका कोई उल्लेख आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के आवेदन पत्र में नहीं किया गया है, जबकि उक्त भूमि पर अनावेदक पक्ष का आधिपत्य विगत 30-40 वर्षों से निरन्तर चला आ रहा है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत दो वर्ष के भीतर अवैध आधिपत्य हटाने की कार्यवाही करना चाहिए, जबकि आवेदक द्वारा नियत अवधि में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इस कारण संहिता की धारा 250 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के आवश्यक तत्वों को सिद्ध नहीं किया जा सका है, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा साक्ष्य के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य था, जिसे स्थिर रखने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि यदि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हों तो, उनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा साक्ष्यों के विधिवत विवेचना करते हुए विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निरस्त किया जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त का यह मानना कि आवेदन पत्र बिना हस्ताक्षर के हैं, उचित नहीं है, क्योंकि आवेदन पत्र में जो नाम लिखा है, संभवत: वही हस्ताक्षर हैं । खसरा भी ग्राम. सकराई का ही प्रस्तुत किया गया है, अत: मात्र आवेदन पत्र में गलत ग्राम का उल्लेख होना, आवेदन पत्र निरस्त करने का आधार नहीं है । आवेदक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है । तहसील न्यायालय में केवल पंचनामें में उल्लेख को पुराने कब्जे का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पंचनामे के

गवाहो के बयान/प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है । तहसील न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं पक्ष समर्थन का अवसर भी नहीं दिया गया है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः उभय पक्ष को अपनी-अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर विधिवत निराकरण हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

ल